

# अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला-खरसावों।

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

टी0ए0 मिस केश सं0 -102/17-18/36/19-20

जिला - सरायकेला - खरसावों

केस का प्रकार - Section 46 के अंतर्गत

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17.2.20	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चाण्डल के पत्रांक- 758/रा0, दिनांक- 16.08.2019 के द्वारा टी0ए0 मिस केश सं0-102/17-18 जांच प्रतिवेदन सहित प्राप्त है। 36/19-20</p> <p>आवेदक/आवेदिका गोविन्द तन्तुवाई, पिता-स्व0 नकुल तन्तुवाई, जाति- तांती (पिछड़ा वर्ग), ग्राम- दिनाई, थाना - चौका, जिला-सरायकेला-खरसावों ने मौजा - दिनाई, थाना - चौका थाना नं0- 157, खाता नं0-52 एवं 53, प्लॉट नं0-941 एवं 925 रकवा - 21 डी0 एवं 04 डी0 कुल रकवा- 25 डीसमल जमीन को क्रेता - (1) हेमलता महतो, पति - संजय कुमार महतो, (2) संगीता महतो, पति श्री शक्तिप्रसाद महतो, जाति- कुर्मी (महतो) ग्राम-डुंगरीडीह, थाना- चौका, जिला-सरायकेला-खरसावों के पास पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध के वास्ते रूपये की आवश्यकता होने के कारण अनुमानित बाजार मूल्य 12,12,121.00 (बारह लाख बारह हजार एक सौ इक्कीस) ₹0 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजो "बी" के अंतर्गत बेचे के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया है।</p> <p>आम सूचना निर्गत किया गया। किसी ने इस जमीन की बिक्री पर आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी, चाण्डल के पत्रांक-366, दिनांक-24.02.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि रैयती है। विक्रेता खतियानी रैयत एवं जमाबंदी रैयत स्वयं है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। बिक्री के बाद आवेदक के पास 3.05 एकड़ भूमि शेष बचती है तथा आवेदक भूमिहीन नहीं होता है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में गोविन्द तन्तुवाई, पिता-स्व0 नकुल तन्तुवाई, ने आवेदित भूमि मौजा - दिनाई, थाना - चौका थाना नं0- 157, खाता नं0-52 एवं 53, प्लॉट नं0-941 एवं 925 रकवा - 21 डी0 एवं 04 डी0 कुल रकवा- 25 डीसमल जमीन को क्रेता - (1) हेमलता महतो, पति - संजय कुमार महतो, (2) संगीता महतो, पति श्री शक्तिप्रसाद महतो, जाति- कुर्मी (महतो) ग्राम-डुंगरीडीह, थाना- चौका, जिला-सरायकेला-खरसावों को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजो "बी" के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p>अपर उपायुक्त सरायकेला-खरसावों</p>	